सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 31 राँची, बुधवार, 28 जनवरी, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी, 2026

संख्या-09/आरोप-चतरा-148/2023- 142(09)/रा.,--श्री राम विनय शर्मा, तत्कालीन अंचल अधिकारी (राजस्व) सम्प्रति दिनांक- 29.02.2024 को सेवानिवृत के विरूद्ध एक ही रैयत का दो जमाबंदी कायम करने, रकबा में हेरफेर करने, बिना रजिस्ट्री के जमीन का रसीद निर्गत करने, कई CNT Act के मामले का दाखिल-खारिज करने, अवैध वसूली आदि के आरोपों को प्रथम द्रष्टया सत्य प्रतिवेदित पाते हुए उपायुक्त, चतरा का पत्रांक-1683, दिनांक-20.10.2023 द्वारा आरोप पत्र विभाग को प्राप्त हुआ।

2. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-3852/रा0, दिनांक-28.11.2023 द्वारा श्री शर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्री शर्मा द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

3. श्री शर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2743/रा0, दिनांक- 23.08.2024 के माध्यम से उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के क्रम में उपायुक्त, चतरा का पत्रांक-262, दिनांक-04.02.2025 द्वारा विभाग को मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

4. श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, श्री शर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेख के सम्यक समीक्षोपरांत श्री शर्मा के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-229, दिनांक-09.01.2026 के आलोक में उक्त मामले में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री सुनील कुमार (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है तथा अपर समाहर्त्ता, चतरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मंजू रानी स्वांसी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 31 - 50